2/12/24

पत्रावली आज पेशी में ली गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने धारा 136 LRA में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि एक प्रार्थीगण 24 NDR के खाता सं. 80/75 में दर्ज तादादी 0.987 है. में प्रार्थीगण की माता सहित कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त खाते की भूमि में प्रार्थी सं. 1 निक्का सिंह व प्रार्थी सं. 2 का नाम जग्गा सिंह दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है जो काबिल दुरूस्ती है। प्रार्थी सं. 1 का सही नाम सुखविन्द्र सिंह व प्रार्थी सं. 2 का नाम जगसीर सिंह है। साक्ष्य के रूप में अंकतालिका, आधारकार्ड आदि दस्तावेज संलग्न प्रार्थना पत्र पेश किए।

प्रार्थना पत्र दर्ज कर तहसीलदार हनुमानगढ़ से मौका रिपोर्ट तलब की गई। भू.अ.नि. वृत चौहिल्यावाली की रिपोर्ट में अंकन किया गया कि प्रार्थीगण के आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, जन-आधार कार्ड, राशन कार्ड व मूलनिवास में प्रार्थीगण का नाम निक्कासिंह व जग्गा सिंह की बजाय सुखविन्द्र सिंह व जगसीर सिंह अंकित है। उपस्थित मौतबिरानों मुताबिक प्रार्थीगण का बचपन का नाम क्रमशः निक्का सिंह व जग्गा सिंह रहा। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

लगातार....

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.12.05 13:02:03 IST
Reason: SelfAttested

सरपंच ग्राम पंचायत अराईवाली की तस्दीक प्रमाण प्रार्थ
पत्र का अवलोकन किया गया। उपलब्ध दस्तावेजों मू-
ग्राम पंचायत व तहसीलदार द्वारा प्रेषित रिपोर्ट
अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर
तहसीलदार हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता
है कि जमाबंदी संवत् 2074-77 चक 24 NDR
खाता सं. 80/75 में दर्ज खातेदार निक्का सिंह 1–
की जगह सुखविन्द्र सिंह व जग्गा सिंह की जगह
जगसीर सिंह दर्ज राजस्व रिकॉर्ड कर राजस्व 2–
रिकॉर्ड दुरुस्त किया जावे। शेष प्रविष्टियां
यथावत रखी जावे। आदेश खुले इजलास सुनाया
जाकर, पत्रावली नंबर से कम की जाकर तह
दाखिल दफ्तर की जाती है।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

श्री

Signature Not Verified

Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.12.05 13:02:03 IST
Reason: SelfAttested

1–

2–